तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **गजानन्द शर्मा बनाम जिला कलक्टर अलवर** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 202/239**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.23	पत्रावली पेश हुई। रेस्पोडेन्ट का जवाब पत्रांक एफ. 12-3(408)राजस्व/114/219/2021/3246 दिनांक 26.05.2022 में अंकित किया है कि अपीलार्थी स्वयं ने उक्त आन लाईन आवेदन दिनांक 12.05.2022 को विड्रो कर लिया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी स्वयं ने अपने भूमि संपरिवर्तन आवेदन दिनांक 12.05.2022 को प्रत्याहारित किया है तथा आन लाईन प्रस्तुत भूमि संपरिवर्तन प्रकरणों के डाटाबेस में परिवर्तन नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये होने बाबत व जिला कलक्टर कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही संभव नही है व पुनः आवेदन करने हेतु अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट के पत्रांक 3246 दिनांक 26.05.2022 द्वारा लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपनी भूमि के संपरिवर्तन हेतु पुनः आवेदन कर संपरिवर्तन करा सकता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	